रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 4, 2001/पौष 14, 1922
No. 8] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 4, 2001/PAUSA 14, 1922

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2001

स्टाम्प

का. आ. 8(अ).—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा, उस शुल्क को माफ करती है, जो भारतीय स्टेट बैंक, केन्द्रीय कार्यालय, मुम्बई द्वारा जारी किए गए मात्र छब्बीस हजार करोड़ रुपये के समग्र मूल्य के भारत सहस्त्राब्दि धरोहर के रूप में वर्णित प्रोमिसरी नोटों के स्वरूप के बंधपत्रों पर उक्त अधिनियम के तहत प्रभार्य है ।

[सं. 3/2001-स्टाम्प/फा. सं. 33/63/2000-बि. क.]

अभय त्रिपाठी, निदेशक (बिक्री कर)

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

ORDER

New Delhi, the 4th January, 2001

STAMPS

S.O. 8(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, the Central Government hereby remits the duty with which the bonds in the nature of promissory notes described as Indian Millennium Deposits (IMDs) aggregating to rupees twenty six thousand crores only issued by State Bank of India, Central Office, Mumbai, are chargeable under the said Act.

[No. 3/2001-Stamps/F. No. 33/63/2000-ST]

ABHAY TRIPATHI, Director (Sales Tax)